न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास डॉ0 वीना प्रधान, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 257/2019/(2019/00257) जिला–अजमेर

1. श्री पवन कुमार जैन पुत्र स्व0 चान्दमल
2. संगीता जैन धर्मपत्नी पवन कुमार
   समस्त जाति जैन निवासीगण मदनगंज–किशनगढ़ तहसील किशनगढ जिला अजमेर।

–––अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़ जिला अजमेर।

––––प्रत्यर्थी

–––

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर दिनांक 26–11–2019
अन्तर्गत अपील संख्या 33/2019 बउनवान पवन जैन व अन्य बनाम सरकार

––––

उपस्थित– 1. श्री इकबाल मोहम्मद अभिभाषक अपीलार्थीगण
2. श्री आकाश पारीक राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांकः–27.01.2021

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने नामान्तरकरण संख्या 240 दिनांक 23–8–1966 में नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 11 में चांदमल पुत्र छीतरमल का नाम दर्ज कर दिया गया जबकि नामान्तरकरण में चांदमल पुत्र छीतरमल के स्थान पर चांदमल एण्ड कम्पनी दर्ज किया जाना चाहिए था, इसमें दुरूस्ती हेतु एक अपील न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की जिसे उन्होंने अपील को मियाद बाहर मानते हुए अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 26–11–2019 से निरस्त कर दी। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:43:54 IST
Reason: SelfAttested

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर पक्षकारान को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि विवादित आराजियात ग्राम मदनगंज किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ में अवस्थित है जिसके पुराने खसरा नम्बर 517 रकबा 25 बीघा 2 बिस्वा में से 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि दिनांक 9–12–1964 को जिला कलक्टर अजमेर के द्वारा पत्र संख्या रेवेन्यू/आई (एन) 107.7001 दिनांक 9–12–1964 के द्वारा आवंटित की गई थी जिसका उद्देश्य कारखाना स्थापित करना था जो कि श्री चांदमल एण्ड कम्पनी को आवंटित की गई थी जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 240 दिनांक 23–8–1966 दर्ज करते समय नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 11 में चांदमल पुत्र छीतरमल का नाम दर्ज कर दिया गया जबकि उक्त आदेश जिला कलक्टर अजमेर के द्वारा जारी किया गया था जो व्यक्तिगत नहीं होकर कम्पनी के लिए जारी किया गया था । उक्त नामान्तरकरण में चांदमल पुत्र छीतरमल के स्थान पर चांदमल एण्ड कम्पनी दर्ज किया जाना चाहिए था। हाल ही में चांदमल का स्वर्गवास हो जाने के पश्चात जब अपीलार्थी के द्वारा तहसीलदार किशनगढ़ को उक्त विवादित आराजियात जिसका हाल खसरा नम्बर 734 बना है, का नामान्तरकरण दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार किशनगढ़ के द्वारा दिनांक 10–7–2019 को पत्र क्रमांक/भू.अ./19/3489 दिनांक 10–7–2019 से अपीलार्थी को जानकारी प्रदान की कि लीजडीड दिनांक 14–12–1964 के अनुसार चांदमल एण्ड कम्पनी दर्ज करने के लिए सक्षम न्यायालय में नामान्तरकरण संख्या 240 की दुरूस्ती करवाकर लाये जिससे उक्त नामान्तरकरण की अपील न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की जिसे उन्होंने अपील को मियाद बाहर मानते हुए अपील निरस्त कर दी जबकि उक्त अपील तहसीलदार किशनगढ द्वारा पारित निर्देश दिनांक 10–7–2019 की पालना में प्रस्तुत की थी जो पूर्ण रूप से अन्दर मियाद थी। इससे पूर्व नामान्तरकरण संख्या 240 दिनांक 23–8–1966 में दर्ज त्रुटि की कोई जानकारी अपीलार्थी को नहीं थी। ऐसी स्थिति में प्रथम अपीलीय न्यायालय के द्वारा अपील को मियाद बिन्दु पर निरस्त करना विधिसम्मत नहीं है।

उनका यह भी तर्क है कि तहसीलदार, किशनगढ़ द्वारा नामान्तरकरण संख्या 240 में दुरूस्ती करवाने बाबत प्रेषित पत्र दिनांक 10–7–2019 के आदेशों की पालना में अपीलार्थी द्वारा दिनांक 15–7–2019 को अपीलाधीन नामान्तरकरण की नकल प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 16–7–2019 को नामान्तरकरण संख्या 240 की नकल प्राप्त हुई तत्पश्चात अपीलार्थी द्वारा अपने अभिभाषक से सम्पर्क कर अपील तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दी। अपील जानकारी दिनांक से प्रस्तुत करने पर पूर्ण रूप से अन्दर मियाद थी जैसा कि 2011 (3) डीएनजे (राज.) में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। अपीलार्थी को जब यह ज्ञात हुआ कि अपीलाधीन नामान्तरकरण चांदमल एण्ड कम्पनी के स्थान पर चांदमल पुत्र छीतरमल दर्ज है तभी से अपीलार्थी द्वारा दुरूस्ती की कार्यवाही की जा रही थी। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26–11–2019 एवं नामान्तरकरण संख्या 240 दिनांक 23–8–1966 को निरस्त कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:43:54 IST
Reason: SelfAttested

कॉलम संख्या 11 में चांदमल पुत्र छीतरमल के स्थान पर चांदमल एण्ड कम्पनी दर्ज किये जाने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी के विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर के समक्ष अपीलार्थी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 240 दिनांक 23–8–1966 के विरूद्ध अपील पेश की जो भारी मियाद बाहर होने से मियाद बिन्दु पर ही अपील खारिज कर दी गई, जो विधिसम्मत है। अपीलार्थी को सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने हेतु तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा निर्देश दिये गये थे। अधीनस्थ न्यायलय जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–11–2019 विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की अपील मीमो पर सुनी बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 240 दिनांक 23–8–1966 की अपील न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की थी जिसे मियाद बाहर मानते हुए खारिज किया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि नियमों में प्रावधान है कि यदि सहवन से किसी प्रकार का इन्द्राज राजस्व रेकार्ड में हो गया है तो ऐसे आदेशों के विरूद्ध अपील करने हेतु मियाद के प्रावधान लागू नहीं होते हे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील को गुणावगुण पर विवेचन किये बिना मियाद के बिन्दु पर निरस्त नहीं किया जा सकता है।

यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि ग्राम मदनगंज–किशनगढ में स्थित विवादित आराजियात जिसके पुराने खसरा नम्बर 517 रकबा 25 बीघा 2 बिस्वा में से 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि दिनांक 9–12–1964 को जिला कलक्टर अजमेर के द्वारा पत्र संख्या रेवेन्यू/आई (एन) 107.7001 दिनांक 9–12–1964 के द्वारा आवंटित की गई थी जिसका उद्देश्य कारखाना स्थापित करना था जो कि श्री चांदमल एण्ड कम्पनी को आवंटित की गई थी। जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 240 दिनांक 23–8–1966 दर्ज करते समय सहवन से नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 11 में चांदमल पुत्र छीतरमल का नाम दर्ज कर दिया गया जबकि उक्त आदेश जिला कलक्टर अजमेर के द्वारा जारी किया गया था जो व्यक्तिगत नहीं होकर कम्पनी के लिए जारी किया गया था। उक्त नामान्तरकरण में चांदमल पुत्र छीतरमल के स्थान पर चांदमल एण्ड कम्पनी दर्ज किया जाना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न लीजडीड दिनांक 14–12–1964 में भी चांदमल एण्ड कम्पनी के नाम का उल्लेख है जो कि उप पंजीयक किशनगढ़ के कार्यालय से दिनांक 14–12–1964 को ही रजिस्टर्ड की गई है। तहसीलदार द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित पत्र दिनांक 10–7–19 में उल्लेख किया है कि पटवारी हलका ने अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया है कि लीज डीड दिनांक 14–12–1964 में चांदमल एण्ड कम्पनी को ही उक्त भूमि का आवंटन किया गया था जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 240 दर्ज किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:43:54 IST
Reason: SelfAttested

गया जिसमें चांदमल एण्ड कम्पनी के स्थान पर चांदमल पुत्र छीतरमल कौम महाजन दर्ज हो गया है। उक्त शुद्धि हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही करे। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार/पटवारी हलका की रिपोर्ट को नजरअन्दाज कर जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा मियाद बिन्दु पर ही, गुणावगुण का विवेचन किये बिना पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26–11–2019 विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है तथा नामान्तरकरण संख्या 240 दिनांक 23–8–1966 में चांदमल पुत्र छीतरमल के स्थान पर चांदमल एण्ड कम्पनी दर्ज किया जाना विधिसम्मत है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (जिला कलक्टर) अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26–11–2019 अन्तर्गत राजस्व अपील संख्या 33/2019 बउनवान पवन जैन व अन्य बनाम सरकार निरस्त किया जाता है और तहसीलदार को आदेशित किया जाता है कि नामान्तरकरण संख्या 240 दिनांक 23–8–1966 में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 11 में चांदमल पुत्र छीतरमल के स्थान पर शुद्धिकरण करते हुए चांदमल एण्ड कम्पनी का अंकन दर्ज किया जावे।

(डॉ0 वीना प्रधान)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:43:54 IST
Reason: SelfAttested